

।।कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रा०शि०),रुद्रप्रयाग।।  
 आदेश संख्या-प्रा०शि०अनु०-4/मान्यता/ 582 /आर०टी०ई०/2019-20,दिनांक -08 नवम्बर- 2019  
 मान्यता

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली- 2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता हेतु निम्नांकित विद्यालयों के प्रबन्धकों/व्यवस्थापकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व उसके क्रम में किये गये पत्राचार तथा दिनांक 05-11-2019, को मान्यता समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के पश्चात स्थलीय निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि निम्न विद्यालयों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत मानक पूर्ण किये गये हैं। अतः अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण तथा प्रबन्धकों / व्यवस्थापकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुबन्ध के क्रम में निम्नांकित विद्यालयों को संचालन हेतु पांच वर्ष तथा तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थाई मान्यता/नवीनीकरण स्वीकृत/प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	कक्षा जिसके संचालन की अनुमति है	शिक्षण का माध्यम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अनूप नेगी मैमो० पब्लिक स्कूल गुलाबराय, रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	प्री०प्राईमरी से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी(CBSE) (CBSE Board)	तीन वर्षों हेतु मान्यता
2	श्री गुरु रामराय प०स्कू० तिलनी, रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	प्री०प्राईमरी से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी(CBSE) (CBSE Board)	तीन वर्षों हेतु मान्यता
3	अगस्त्य प०ई०का० जवाहरनगर, रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	पूर्व प्रा० से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी	तीन वर्षों हेतु मान्यता
4	अतुल मॉडल पब्लिक स्कूल, तिलवाड़ा	अगस्तमुनि	पूर्व प्रा० से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी	तीन वर्षों हेतु मान्यता
5	जीवन ज्योति नागेन्द्र उ०प्रा० कोटी, लस्या	जखोली	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षों हेतु मान्यता
6	आमा देवी सरस्वती विद्या मन्दिर, सुमाड़ी,	जखोली	कक्षा 6 से 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षों हेतु मान्यता
7	ब्लूमिंग चिल्ड्रन एकेडमी पाली तल्ली	अगस्त्यमुनि	प्री०प्राईमरी से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी	तीन वर्षों हेतु मान्यता
8	श्री तुंगेश्वर हिल सिटी चिल्ड्रन एकेडमी, चोपता	अगस्त्यमुनि	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षों हेतु मान्यता
9	डॉ० जैक्स वीन नेशनल स्कूल, गुप्तकाशी	ऊखीमठ	प्री० प्राईमरी से कक्षा 8 तक	अंग्रेजी (CBSE) (CBSE Board)	तीन वर्षों हेतु मान्यता
10	आदर्शबाल विद्यामन्दिर ज्ञाखधार, ऊखीमठ	ऊखीमठ	प्री प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षों हेतु मान्यता
11	दुर्गा पब्लिक स्कूल,दुर्गाधार	अगस्त्यमुनि	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षों हेतु मान्यता
12	नव ज्योति पब्लिक स्कूल, नगरासू	अगस्त्यमुनि	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षों हेतु मान्यता
13	नव ज्योति पब्लिक स्कूल, बावई	अगस्त्यमुनि	प्राईमरी से कक्षा 8 तक	हिन्दी	तीन वर्षों हेतु मान्यता

MANAGER  
 SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL  
 TILNI - RUDRAPRAYAG.



प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी।

- 1- मान्यता किसी भी परिस्थिति में उपरिलिखित स्तम्भ-4 की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- 2- विद्यालय निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित होगा।
- 3- विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
- 4- उपरोक्त क्रम सं०-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता संचालित करेगा।
- 5- संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चों की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक को साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
- 6- विद्यालय किसी बच्चों के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति जन्म, आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
- 7- विद्यालय के द्वारा कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे।
  - 7(1) किसी भी नामांकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और ना ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
  - 7(2) किसी भी बच्चों को किसी प्रकार शारारिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं आवश्यकता किया जायेगा।
  - 7(3) किसी भी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की नहीं होगी।
  - 7(4) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों का नियम 35 उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - 7(5) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा परन्तु यह कि अधिनियम लागू होने के वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे निर्धारित समय के अन्दर न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें।
- 7(6) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- 7(7) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
- 7(8) विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- 7(9) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
- 7(10) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

खेल के मैदान का क्षेत्र

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय सह भण्डार कक्ष

बालिकाओं के लिए अलग शौचालय

पेयजल की सुविधा

\*कुल निर्मित क्षेत्र

\*कक्षा-कक्षों की कुल संख्या

\*बालक तथा

\*मध्याह्न भोजन के लिए

  
MANAGER  
SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL,  
TILNI - RUDRAPRAYAG.



रसोई घर।

बाधारहित पहुँच

\*शिक्षण अधिगम सामग्री, ,खेलकूद,उपकरण,,पुस्तकालय

- 11-इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जाएगा, विद्यालय में नाम से अन्य कही विद्यालय संचालित नहीं होगा।
- 12-विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जाएगा, इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जाएगा।
- 13-विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधियिम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
- 14-विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
- 15-लेखा की अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा, और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी, प्रत्येक लेखा विवरणी की प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) को भेजी जाएगी।
- 16-इस कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करने में आर्बिट्रि कोड/पत्र सन्दर्भ संख्या को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
- 17-राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- 18-यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है, तो उसे सुनिश्चित किया जाएगा।
- 19-परिशिष्ट-चार के रूप में सलग्न अन्य शर्तें।
- 20-यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना की जाती है, तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

ह०-

सी०एन०काला  
मुख्य शिक्षा अधिकारी  
रुद्रप्रयाग।


पृ०सं०/प्रा०शि०/ 5446-52 /मान्यता आ०टी०ई०/2019-20/2020-21 दिनांक उक्तवत् ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1.निदेशक, (प्रा०शि०)उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 2.अपर निदेशक प्रा०शि०गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
- 3.मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग ।
- 4.जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
- 5.खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी अगस्तमुनि/जखोली/ऊखीमठ ।
- 6.प्रबन्ध/प्रधानाध्यापक संबन्धित विद्यालय ।
- 7.कार्यालय पत्रावली ।

  
MANAGER  
SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL  
TILNI - RUDRAPRAYAG.



  
(डा० विद्याशंकर चतुर्वेदी)  
जिला शिक्षाअधिकारी, प्रा०शि०  
रुद्रप्रयाग।